न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 110 / 2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 राजेन्द्र पुत्र श्री दूलसिंह जाति राजपूत।
2 महेश कुमार पुत्र मालीराम जाति कुमावत।
3 मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन।
4 बालेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल कुमावत जाति कुम्हार निवासीगण गुढ़ागोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बुद्धि प्रकाश स्वामी पुत्र दिनेश कुमार स्वामी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 जगदीश पुत्र दिनेश कुमार स्वामी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सज्जना देवी पत्नी दिनेश कुमार स्वामी।
3 केशवदास उर्फ केशरदेव स्वामी पुत्र हनुमानदास स्वामी समस्त जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 28 गोपीनाथजी मंदिर के पास गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 राजेन्द्र पुत्र केशवदास उर्फ केशरदेव स्वामी जाति स्वामी।
5 ओमप्रकाश पुत्र केशवदास उर्फ केशरदेव स्वामी।
6 मनोज कुमार पुत्र केशवदास उर्फ केशरदेव स्वामी निवासीगण गुढ़ागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ0धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 360/13 उनवानी बुद्विप्रकाश
बनाम केशवदास वगैरह तारीख आदेश
दिनांक 17.11.2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

अपील संख्या 131/2014

1 राजेन्द्र पुत्र श्री दूलसिंह जाति राजपूत।
2 महेश कुमार पुत्र मालीराम जाति कुमावत।
3 मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र दिनेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन।
4 बालेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल कुमावत जाति कुम्हार निवासीगण गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मुन्नी देवी पुत्री केशवदास उर्फ केशरदेव पत्नी कैलाशचन्द स्वामी।
2 सुमित्रा देवी पुत्री केशवदास उर्फ केशरदेव पत्नी मुलचन्द जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 28 गोपीनाथ के मन्दिर के पास गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल आबाद भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ0धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश दिनांक 11.03.2014 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा उनवानी मुन्नी देवी वगैरह बनाम
राजेन्द्र सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 78/2014
तारीख पेशी 23.01.2014

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री आरती कुमावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुशील जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

यह दोनों अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 360/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2014 एंव प्रार्थना पत्र संख्या 78/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2014 के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि समान होने दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। अत दोनों अपीलों में निर्णय की प्रति अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बुद्विप्रकाश एवं जगदीश ने ग्राम टोडी की भूमि खसरा नम्बर 665 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 17.11.2014 से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने, बेचान रहन आदि नही करने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 110/2014 पेश की गई है। इसी प्रकार इसी भूमि के सन्दर्भ में मुन्नी देवी व सुमित्रा देवी की और से आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही जिसमें विचारण न्यायालय में विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति, खुर्द बुर्द एवं निर्माण नही करने का स्थगन आदेश दिनांक 11.03.2014 को पारित किया गया जिसके विरूद्व अपील संख्या 131/2014 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश स्पीकिंग नही है प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचना नही की गई है। यह पैतृक सम्पदा नही है स्व अर्जित है कर्ता खानदान को परिवार के हित में भूमि विक्रय करने का अधिकार है यथास्थिति का आदेश कानून की नजर में विधि सम्मत नही है बाप दादा ने भूमि बेच दी तो विधिक

Lalio
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वारिस न्यायालय में नही आ सकते है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोनों निर्णय विधि विरूद्व है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1210, ए.आई. आर 2000 एस.सी. पेज 3032, डी.एन.जे. 2012 एस.सी. पेज 494, आर.आर.डी. 2016 पेज 232, डी.एन.जे. 2007 (2) पेज 940, आर.एल.डब्ल्यू 2010 (1) पेज 578, आर.एल.डब्ल्यू 1998 (2) 741,1205, ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 776, ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 2016 एस.सी. पेज 1169, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1210, आर.आर.डी. 2016 पेज 232, डीएनजे 2007(2) पेज 940, आर.एल.डब्ल्यू 2010 (1) एस. सी. 578, आर.एल. डब्ल्यू 1998 (2) पेज 741,1205 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि दादा से प्राप्त होना पैतृक होना स्वीकृत तथ्य है विक्रय पत्र गुमराह करके करवाया गया है। जिन बच्चों ने दावा किया है उनके पिता की दिमागी हालत सही नही है यहा परिवार के हित की कोई बात नही है भू–माफियां यही काम करते है हम रिकार्डेड खातेदार है स्वः अर्जित सम्पति वह होती है जो स्वंय द्वारा अर्जित की जाये। अपीलांट अजनबी केता है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है अपीलांट सदभावी केता है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करते हुये विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

भी कोई विवेचन नही किया है। केवल मात्र अनावश्यक मुकदमे बाजी व विवाद नही बढ़ने का हवाला देकर विचाराधीन आदेश पारित किये है। जिन्हे हम विधि सम्मत नही पाते है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में भी विचारण न्यायालय के निर्णय विधि समत नही पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर